संख्या- 806/पचास-यु0क0-15-24 (बजट)/2012

प्रेषक,

शत्रुन्जय कुमार सिंह

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश। द्वारा महानिदेशक,

युवा कल्याण अनुभाग- लखनऊ दिनांकः 15 जुलाई, 2015

विषयः- ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता हेतु जिला योजना में प्राविधानित धनराशि रू. 205.25 लाख की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रश्नगत सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित जिला सेक्टर की ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन हेतु रू. 205.25 लाख (दो करोड़ पाँच लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन, सम्बन्धित जनपदों को आवंटित किये जाने की स्वीकृति करते हुये, संलग्न सूची के विवरण के अनुसार, आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) शासन के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2 /2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में दिये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(2) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में ही किया जाय और उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

(3) उपर्युक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि व्यय प्रतिनिहित अधिकारों की सीमा के अधीन किया जाएगा तथा जहां कहीं भी व्यय हेतु शासन/अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उसे यथासमय प्राप्त कर लिया जायेगा। व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जाए।

-2-

(4) धनराशि व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-सी.ए.934/दस-2008-मित-1/2007, दिनांक 02 सितम्बर, 2008 का विशेष रूप से पालन किया जाऐगा।

(5) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसका उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायगा। मानक मद-14 के अन्तर्गत मोटर गाडियों का क्रय के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृतिया वित्त विभाग की सहमति से यथासमय जारी की जाएगी।

(6) प्रश्नगत स्वीकृति इस शर्त के साथ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 की जिला योजनाओं के लिए जनपदवार परिव्यय निर्धारित होने के उपरान्त जारी की गई स्वीकृतियों को आवंटित परिव्यय में समायोजित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

करते हुए तदनुसार यथाआवश्यक संबधित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) स्वीकृत धनराशि व्यय करने के पूर्व ''ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता'' हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश महानिदेशक, प्रान्तीय रक्षक दल/विकासदल एवं युवा कल्याण,उ0प्र0,लखनऊ द्वारा निर्गत किए जाएगें और कार्यक्रम के सम्पन्न होने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्गत कार्यक्रम के साथ शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा।

(8) जनपद द्वारा उक्त धनराशि का नियमानुसार उपयोग/व्यय तभी किया जायेगा जब प्रश्नगत योजना/कार्यक्रम के स्वरूप तथाव्यय के आधार/मानक आदि निर्धारित करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश महानिदेशक, प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण,उ0प्र0,लखनऊ द्वारा जारी कर दिया गया हो। व्यय के सापेक्ष यथा आवश्यकता धनराशि का आहरण किया जाए।

2- उक्त स्वीकृति पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्ष ''2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-आयोजनागत-104-खेलकूद-03-ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन (जिला योजना)-42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

-3-

http://shasanadesh.up.nic.in

-3-

3- यह आदेश वित्त विभाग (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रशासकीय विभागों की प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक- यथोक्त सूची।

भवदीय,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)

उप सचिव

संख्या- 806(1)/पचास-यु0क0-15-24 (बजट)/2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,

2- प्रधान महालेखाकार (लेखा-परीक्षा),प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद,

3- महानिदेशक, प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-150/दो-11/प्रा.वि.द./2015 दिनांक 19 मई, 2015 एवं पत्र संख्या-180/दो-11/प्रा.वि.द./2015 दिनांक 27 मई, 2015 के सन्दर्भ में ,

4- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश,

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2,

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,

7- नियोजन अनुभाग-4,

8- गार्ड बुक (बजट)

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-806/पचास-यु0क0-15-24 (बजट)/2012, दिनांक 15 जुलाई, 2015 द्वारा ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता हेतु जिला योजनान्तर्गत जनपदों को आवंटित धनराशि का संलग्नक

क्र0सं0	जनपद का नाम	विकास खण्ड की संख्या	आवंटित धनराशि (रूपये में)
1	2	3	4
1	आगरा	15	3ए75ए000
2	मैनपुरी	9	2ए25ए000
3	मथुरा	10	2ए50ए000
4	फिरोजाबाद	9	2ए25ए000
5	अलीगढ़	12	3ए00ए000
6	हाथरस	7	1ए75ए000
7	एटा	8	2ए00ए000
8	कासगंज	7	1ए75ए000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9	झांसी	8	2ए00ए000
10	ललितपुर	6	1ए50ए000
11	जालौन	9	2ए25ए000
12	हमीरपुर	7	1ए75ए000
13	महोबा	4	1ए00ए000
14	बांदा	8	2ए00ए000
15	चित्रकूट	5	1ए25ए000
16	लखनऊ	8	2ए00ए000
17	रायबरेली	18	4ए50ए000
18	हरदोई	19	4ए75ए000
19	उन्नाव	16	4ए00ए000
20	सीतापुर	19	4ए75ए000
21	लखीमपुर-खीरी	15	3ए75ए000
22	बरेली	15	3ए75ए000
23	बदायूं	15	3ए75ए000
24	पीलीभीत	7	1ए75ए000

25	शाहजहांपुर	15	3ए75ए000
26	मेरठ	12	3ए00ए000
27	बागपत	6	1ए50ए000
28	गाजियाबाद	4	1ए00ए000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

29	हापुड़	4	1ए00ए000
30	गौतमबुद्धनगर	4	1ए00ए000
31	बुलन्दशहर	16	4ए00ए000
32	सहारनपुर	11	2ए75ए000
33	मुजफ्फरनगर	9	2ए25ए000
34	शामली	5	1ए25ए000
35	मुरादाबाद	8	2ए00ए000
36	सम्भल	8	2ए00ए000
37	अमरोहा(ज्योतिबाफूलेनगर)	6	1ए50ए000
38	रामपुर	6	1ए50ए000
39	बिजनौर	11	2ए75ए000
40	वाराणसी	8	2ए00ए000
41	चन्दौली	9	2ए25ए000
42	गाजीपुर	16	4ए00ए000
43	जौनपुर	21	5ए25ए000
44	संत रविदासनगर (भदोही)	6	1ए50ए000
45	मिर्जापुर	12	3ए00ए000
46	सोनभद्र	8	2ए00ए000
47	गोरखपुर	19	4ए75ए000
48	महराजगंज	12	3ए00ए000
49	देवरिया	16	4ए00ए000
50	कुशीनगर	14	3ए50ए000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

51	बस्ती	14	3ए50ए000
52	संत कबीरनगर	9	2ए25ए000
53	सिद्धार्थनगर	14	3ए50ए000
54	आजमगढ़	22	5ए50ए000
55	मऊ	9	2ए25ए000
56	बलिया	17	4ए25ए000

.3.

.3.

57	इलाहाबाद	20	5ए00ए000
58	कौशाम्बी	8	2ए00ए000
59	फतेहपुर	13	3ए25ए000
60	प्रतापगढ़	17	4ए25ए000
61	कानुपर नगर	10	2ए50ए000
62	कानपुर देहात	10	2ए50ए000
63	फर्रूखाबाद	7	1ए75ए000
64	कन्नौज	8	2ए00ए000
65	औरैया	7	1ए75ए000
66	इटावा	8	2ए00ए000
67	फैजाबाद	11	2ए75ए000
68	अम्बेडकरनगर	9	2ए25ए000
69	सुल्तानुपर	14	3ए50ए000
70	अमेठी	13	3ए25ए000

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

71	बाराबंकी	15	3ए75ए000
72	गोण्डा	16	4ए00ए000
73	बलरामपुर	9	2ए25ए000
74	श्रावस्ती	5	1ए25ए000
75	बहराइच	14	3ए50ए000
	योगः -	821	2ए05ए25ए000

(दो करोड़ पांच लाख पच्चीस हजार मात्र)

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।